न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/699/2005/उदयपुर

1 श्रीमती देउबाई बेवा काना गमेती (फौत नाम तर्क)
2 मोडा पुत्र काना गमेती
3 बदा पिता काना गमेती
4 शंकर पिता काना गमेती
5 दल्ला पिता काना गमेती
6 रता पिता वक्ता गमेती
7 कालकी बेवा खुमाण पिता काना गमेती सभी निवासी सविना खेडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, उदयपुर
2 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री सतीश चन्द गोदारा, सदस्य

उपस्थितः श्री अजीत लोढा वकील अपीलार्थीगण
श्री हगामी लाल चौधरी वकील प्रत्यर्थी संख्या 2
श्रीमती पूनम माथुर अति. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः.11.6.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 68/2004 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 188 के अन्तर्गत उप जिलाक लक्टर, गिर्वा, उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सवीना खेडा की साबिक आराजी खसरा नम्बर 531, 545, 546, 547 एवं 585/5क रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि का खातेदार वादीगण के पूर्वज काना राजस्व अभिलेख में दर्ज

था तथा काबिज काश्त था। काना के बाद वादीगण काबिज काश्त हैं। वर्तमान बन्दोबस्त में नये बने खसरा नम्बर 835 रकबा 0.7800 हेक्टर में उक्त साबिक आराजीयात का 1 बीघा 2 बिस्वा रकबा मिला दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 जिला कलक्टर, उदयपुर ने उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 को गलत रूप से आवंटित कर दी। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 6 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 30.12.2003 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो उनके निर्णय दिनांक 19.10.2004 से खारिज की गई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार, गिर्वा एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलार्थीगण के खातेदारी की साबिक खसरा नम्बर 541, 545, 546, 547 व 585/5क से नवीन खसरा नम्बर 835 बना है। दस्तावेजी साक्ष्यों से भी उक्त तथ्य को साबित कराया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय वादी अपीलार्थीगण के विरूद्ध किया है। साबिक नक्शे की वांछित प्रति उपलब्ध नहीं होने से पैमाईश का नक्शा पेश किया है। नवीन खसरा नम्बर 1140 वादी अपीलार्थीगण की अन्य आराजीयात की निरन्तरता में होने को आधार मानकर निर्णय दिया है जबकि निरन्तरता का कोई कथन ही नहीं था। विवादित आराजी पर अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त तो माना है परन्तु खातेदार घोषित नहीं किया जबकि साक्ष्यों से साबित है कि वादीगण अपीलार्थीगण का उक्त 1 बीघा 2 बिस्वा रकबा नवीन खसरा नम्बर 835 में मिलाया गया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक नगर विकास न्यास ने अपनी बहस में तर्क दिया कि हाल खसरा नम्बर 835 बिलानाम राजकीय भूमि होने से प्रत्यर्थी संख्या 2 नगर विकास न्यास के पक्ष में विधिवत आवंटित की गई है। उक्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर भी बिलानाम ही थे। वादीगण ने आवंटन को चुनौति दी जो खारिज हुई। धारा 83 नगर विकास न्यास अधिनियम का नोटिस नहीं दिया है। वादीगण का रकबा साबिक के मुकाबले कम नहीं हुआ है तथा नवीन खसरा नम्बर 1140 में वादीगण के विवादित साबिक खसरा नम्बरों का रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा मिलाया गया है। नवीन खसरा नम्बर 835 का रकबा 0.7800 हेक्टर है जो 1 बीघा 2 बिस्वा से बहुत ही अधिक है। वादीगण ने मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है

तथा साबिक व हाल नक्शा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिससे मिलान नहीं किया जा सकता। विवादित राजकीय आराजी पर वादीगण का अतिक्रमण होने मात्र से खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में विद्वान अभिभाषक नगर विकास न्यास की बहस का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रकट नहीं किया गया है। वादीगण के साबिक खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 835 में नहीं मिलाये गये हैं। मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। वाद साबित नहीं कराया गया है। विवादित आराजी का जिला कलक्टर द्वार आबादी विस्तार हेतु आवंटन किया गया है जो विधि अनुरूप होने से यह अपील खारिज की जावे।

6. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 प्रदर्श 1 के अवलोकन से यह स्पष्ट हे कि वादीगण के पूर्वज काना पिता खेता भील के खातेदारी में साबिक खसरा नम्बर 519, 522/1, 522/2, 531, 545, 546, 547, 585/5क, 506, 509, 514, 518/15, 506, 509, 514, 518/16 कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज हैं। वादीगण अपीलार्थी ने अपने वाद में उक्त आराजीयात में से मात्र खसरा नम्बर 531, 545, 546, 547, 585/5क रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा का ही उल्लेख किया है। वादीगण द्वारा मिलान क्षेत्रफल भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा साबिक व हाल नक्शे के मिलान हेतु साबिक नक्शा की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की है। तथा हाल साबिक को स्पष्ट करने वाला खसरा प्रस्तुत नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट है कि वादी अपीलार्थीगण ने अपने वाद में सभी तथ्यों को स्पष्ट साबित नहीं किया है। वादीगण अपीलार्थीगण के खातेदारी में दर्ज उक्त 13 बीघा 2 बिस्वा रकबे में से नवीन बन्दोबस्त में रकबा कम या ज्यादा दर्ज होना भी कथन नहीं किया गया है।

8. हाल खसरा नम्बर 835 का रकबा 0.7800 हेक्टर है जबकि वादीगण का विवादित रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा ही है। तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने जबाब में यह बताया गया है कि उक्त साबिक आराजीयात का रकबा बहुत बडा था जिससे कई अन्य खसरा नम्बर भी बने हैं। हाल खसरा नम्बर 835 में वादीगण का रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा नहीं मिलाया गया है। वादीगण के विवादित साबिक

खसरा नम्बर से 1140 नवीन खसरा नम्बर बना है जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादपत्र में उल्लेखित साबिक खसरा नम्बर का रकबा बडा है जिसमें से वादीगण के नाम 1 बीघा 2 बिस्वा रकबा दर्ज हुआ है तथा शेष रकबे से अन्य नवीन नम्बर बने हैं। वादी इस रकबे को हाल साबिक अभिलेख के आधार पर यथा मिलान क्षेत्रफल, खसरा, हाल साबिक नक्शा के आधार पर अवस्थिति एवं आकृति के आधार पर खसरा नम्बर 835 की अपने नाम दर्ज साबिक रकबे से अनन्यता सिद्व करने में विफल रहा है। वादी ने खसरा व हाल साबिक नक्शा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत ही नहीं की है। जिसके अभाव में हाल साबिक रकबे की स्वत्व एवं अधिकार के संदर्भ में अवस्थिति एवं आकृति के संदर्भ अनन्यता साबित करने में वादी की विफलता से वाद वादी डिक्री (स्वीकार) नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णय में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय दिनांक 19.10.2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द गोदारा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य